आप्रवासी रक्षा परियोजना (आई.डी.पी) समुदाय में आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आई.सी.ई) की गिरफ्तारियों की निगरानी करता है।

आई.सी.ई के साथ अपने अधिकारों को जानें

आई.सी.ई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के जोखिम में कौन हैं?

कानून संघीय सरकार को अनुमति देता है कि वो कुछ खास आप्रवासियों को निर्वासित कर सके। कुछ आप्रवासी नागरिक, जैसे के :

- जिनकी गैर कानूनी स्थिति है
- जिन के पास कानूनी आवासीय पत्र है, शरणार्थी और कानूनी वीसा है लेकिन जिन के कुछ अपराध दोष है

ट्रम्प प्रशासन ने घोषणा की कि जिन लोगों को आई.सी.ई शुरू में निर्वासित करने पर ध्यान देगा उनमे शामिल हैं:

- ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराधी मुक़दमा हो चूका है या फैसला नहीं हुआ है;
- जिनके निष्काशन का आखरी आदेश आ चूका है;
- जिन्होंने अपने निवेदन पत्र में धोका किया है (कुछ गलत या झूठा लिखा है);
- ऐसे व्यक्ति जो आम जनता या देश की सुरक्षा के लिए खतरा माने जा सकते हैं।

जो कानूनी आवासी हैं लेकिन पहले अपराधदोषी माने जा चुके हैं :

जागरूक रहें: आप निशाना हो सकतें है यदि:

- आपकी दोषसिद्धि सालों पहले से है;
- आपने कारागार में समय नहीं गुज़ारा है;
- आपका मामला एक छोटा अपराध था;
- आप एक लंबे समय से लिए एल. पि. आर. (LPR) रहे है ; और / या
- आपके परिवार के अन्य सभी सदस्य अमेरिकी नागरिक हैं।

आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आई.सी.ई) संघीय सरकार की एजेंसियों में से एक है जो लोगो को निर्वासित करने के लिए जिम्मेदार है। आई.सी.ई अमेरिका के घरेलू सुरक्षा विभाग (डी.एच.एस) का हिस्सा है।

क्या आई.सी.ई एजेंट किसी के भी पास जा रहे हैं जो उन्हें लगता है कि निर्वासित हो सकते हैं?

आई.सी.ई एजेंट आमतौर पर गिरफ्तारी के लिए व्यक्ति की पहचान समय से पहले कर लेते है। फिर वे उस व्यक्ति के घरों, कोर्टहाउस, आश्रयों और यहां तक कि कार्यस्थलों पर भी जाते है। कभी कभी वे गिरफ्तारी के लिए सड़क पर इंतजार करते है।

यदि मैं जानता हूँ कि मैं खतरे में हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ?

- **एक योजना बनायें**: आई. सी. इ. द्वारा पकड़े जाने से पहले हि अपने प्रियजनों के साथ एक योजना बनायें।
- **आप्रवासन के साथ संपर्क से बचें**: आपको अपने आव्रजन स्थिति को बदलने की या अपने ग्रीनकार्ड को नवीनीकृत करने कि आवश्यकता नहीं है और एक वकील से पहले बात किए बिना संयुक्त राज्य के बाहर यात्रा मत करें।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ संपर्क से बचें** (पुलिस आव्रजन विभाग के साथ आपकी उंगलियों के निशान बँटती है)!

यदि आप या आपका कोई प्रिय निर्वासित किया जा सकता है, तो एक योजना बनाएं।

आपने अधिकारों को जानना और उन्हें इस्तेमाल करना जटिल है।

आई. सी. इ. की समुदाय में गिरफ्तारियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया immdefense.org/ice-arrests पर आई. डी. पी. (IDP) का लंबा बुकलेट देखे या संपर्क करे KYR@immdefense.org पर।

यदि आप ऍन.वाय.सी. (NYC) के भीतर छापे की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आई. डी. पी. को 212-725-6422 पर फोन करें।

यदि आप ऍन.वाय.सी. (NYC) के बाहर छापे की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो यूनाइटेड वी ड्रीम को 1-844-363-1423 पर फोन करें।

इन सामग्रियों को सूचना के प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह नहीं है। छवियाँ और सामग्री ©आईडीपी 2017

यदि आई. सी. इ. एजेंट मुझे सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर संपर्क करें, तो क्या करना चाहिए?

जब आई. सी. इ. के एजेंट सार्वजनिक स्थान पर किसी को गिरफ्तार करते हैं, यह आम तौर पर जल्दी होता है। शायद वे आपका नाम ज़ोर से पुकारें जिससे वे आपके नाम की पुष्ठि करें और आपको हिरासत में ले लें।

- इससे पहले कि आप अपना नाम या कुछ और कहें, **पूछें "क्या मैं जाने के लिए स्वतंत्र हूँ?"**
  - **यदि वे हाँ कहते हैं:** कहें "मै आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता" या "मै अभी आपके साथ बात नहीं करना चाहता हूँ।" और चले जाएँ।
  - **यदि वे नहीं कहते हैं:** अपने चुप रहने के अधिकार का प्रयोग करें। कहें "मैं अपने जवाब न देने के अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूँ" और फिर "मैं एक वकील से बात करना चाहता हूँ।"
- यदि आई. सी. इ. आपकी जेब या सामान खोजना शुरू कर दे, कहें, **"मैं खोज के लिए सहमत नहीं हूँ।"**
- **झूठ ना बोलें या झूठे दस्तावेज नहीं दिखाएं। गिरफ्तारी का विरोध या भागें नहीं।**
- अपनी आव्रजन स्थिति या जन्मस्थान के बारे में सवालों का जवाब नहीं दें। वे आपके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी का आप के खिलाफ उपयोग करेंगे। पासपोर्ट, वाणिज्य दूत आई. डी., या समाप्त हो गई वीजा के रूप में किसी भी विदेशी दस्तावेज को उनके हाथ में ना दें।
- यदि आप एक अदालत की तारीख पर अपराध न्यायालय में हैं, तो अपने वकील से बात करलें, इससे पहले की वे आप को ले जाए।

यदि अधिकारी मेरे घर आते है, क्या मुझे पता चलेगा की वे आए. सी. इ. से हैं ?

हर बार नहीं! सावधान: आई.सी.ई एजेंट अक्सर पुलिस होने का नाटक करते हैं और कहते हैं कि वे पहचान की चोरी या चल रही जांच के बारे में बात करना चाहते हैं।

क्या आई.सी.ई एजेंट मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर में प्रवेश कर सकते हैं?

यदि आई.सी.ई एजेंटों के पास न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किया गया वारेंट नहीं है, तो वे एक वयस्क से अनुमति के बिना घर में प्रवेश नहीं कर सकतें। सिर्फ दरवाज़ा खुल जानें से उन्हें आपके घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं हैं।

तो, यदि अधिकारी मेरे दरवाजे पर हैं तो मुझे क्या करना चाहिए?

- पता लगाएँ कि यदि वे सरकारी विभाग डी. एच्. एस. से हैं या आई.सी.ई से।
- शांत रहने की कोशिश करें। विनम्र रहें। झूठ ना बोलें। कहें **"मैं अभी आप से बात नहीं करना चाहता।"**
- नम्रता से न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किया गया वारेंट दिखने का आग्रह करें और उस वारेंट को दरवाजे के नीचे से खिसकाने को कहें। यदि उनके पास वारंट नहीं है, तो उन्हें अंदर आने से इनकार कर दें।
- यदि वे किसी और व्यक्ति के लिए पूछते हैं, तो **उन्हें उनकी संपर्क जानकारी छोड़ने के लिए कहें।** आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं है की उस व्यक्ति को कहाँ ढूँढना है और आपको **झूठ नहीं बोलना चाहिए।**

यदि आई.सी.ई गिरफ्तारी करने के लिए मेरे घर के अंदर हैं, मैं क्या कर सकता हूँ?

- उन्हें बताइए यदि घर में बच्चे या अन्य कमजोर निवासी हैं।
- यदि उनके पास न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किआ गया वारेंट नहीं हैं तो उन्हें बाहर कदम रखने के लिए कहें।
- यदि वे आपकी अनुमति के बिना अंदर आये हैं तो उन्हें कहें की **"मैं आपको अपने घर में मौजूद रहने की अनुमति नहीं देता। कृपा कर के चले जाएं।"**
- यदि वे आपके घर में या कमरे में तालाशी कर रहे हैं तो उन्हें कहें की "मैं आपके तालाशी करने से सहमत नहीं हूँ।"
- यदि आई.सी.ई आपको गिरफ्तार करती है तो उन्हें बताइए यदि आपको कोई चिकित्सा मुद्दा है या बच्चों की देखभाल के लिए व्यवस्था करने की जरूरत है।

यदि मैं आई.सी.ई द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा हूँ तो मेरे अधिकार क्या हैं?

- आपको चुप रहने का अधिकार है। आपको एक वकील से बात करने का अधिकार है।
- **झूठ मत बोलें।** यह आपके लिए भविष्य में हानिकारक हो सकता है।
- आप कहाँ पैदा हुए थे, आपकी आव्रजन स्थिति क्या है, या आपके आपराधिक रिकॉर्ड है, इत्यादि के बारे में **कोई भी जानकारी उनको बताने की ज़रूरत नहीं है।** सवालों के जवाब देने के बजाय एक वकील की मांग करें।
- जब तक उनके पास न्यायाधीश का वारंट नहीं है, आपको **उन्हें अपने कांसुलर दस्तावेज या पासपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है।**
- **आपको कहीं पर भी हस्ताक्षर करने की आव्यशकता नहीं है।**

जनवरी 2017 में आई.डी.पी. ने इस जानकारी को सेण्टर फॉर कांस्टीटुएशनल राइट्स के कानूनी संयोग से संशोधित किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए सविस्तार पत्र देखें: immdefense.org/ice-arrests.

IMMIGRANT DEFENSE PROJECT
www.immigrantdefenseproject.org
KYR@immdefense.org